MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adoped.

16.56 hrs.

REGIONAL RURAL BANKS BILL

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to move*:

"That the Bill to provide for the incorporation, regulation and winding up of Regional Rural Banks with a view to developing the rural economy by providing, for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas, credit and other facilities, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs, and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

This Bill is intended to replace the Regional Rural Banks Ordinance, 1975. This Ordinance, as you are aware was promulgated on the 26th Septem- 1975 in the context of the implementation of debt relief measures in the rural areas under the Twenty Point Socio-Economic Programme to enable the Government to set up Regional Rural Banks in the country with a view to developing the rural economy by providing credit and other facilities for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities for the rural areas. These banks will also finance reorganised primary co-operative societies and farmers' service societies with universal membership.

The setting up of these banks in areas with adequate development potential but with inadequate institutional credit arrangemtnts, acquired great urgency and seven Regional Rural Banks have been established so far, the first five banks having been established on 2nd October, 1975.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara). Seven or five?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE. Even today one is being established in Madhya Pradesh, and therefore it will be eight.

Subject to man-power constraints, the target is to establish 50 Regional Rural Banks before 1st April, 1977.

The reasons for issuing the Ordinance have already been explained in the Statement which has been laid on the Table of the House. So, I would not like to repeat them Now at this stage I would not like to dwell upon the philosophy of Rural Bank and credit problems in the rural areas. I would like to confine myself to some of the important provisions of the Bill at this stage.

The important provisions of the Bill are:

(i) Each Regional Bank shall have an authorised capital of Rs. 1 crore and a paid-up capital of Rs. 25 lakhs The share capital of each Regional Rural Bank is to be raised by the Government of India, the State Gov-

---

*Moved with the recommendation of the President.

ernment concerned and the bank sponsoring a Regional Rural Bank in the ratio of 50:15:35 respectively.

(ii) The Sponsor Banks are entrusted with the duty of aiding and assisting the Regional Rural Banks not only by subscribing to the share capital of the Bank, but in the recruitment and training of the personnel during the first five years of the functioning of the Regional Rural Bank. The Sponsor Banks will also provide managerial and financial assistance to the Regional Rural Bank.

(iii) The Regional Rural Bank will confine its activities within the notified area generally comprising one or more districts

(iv) The Regional Rural Banks will extend loans, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans, small entrepreneurs and persons of small means engaged in trade, commerce or industry or other productive activities in the rural area. They will also grant loans and advances to various types of co-operative societies including Farmers' Service Societies.

(v) The Board of Directors of a Regional Rural Bank shall consist of not more than nine directors

(vi) The Chairman of the Regional Rural Bank who will devote his whole time to the services of the bank will be appointed by the Central Government.

(vii) The remuneration of officers and employees of the Regional Rural Bank will be determined by the Central Government, having due regard to the salary structure of comparable level and status of officers and employees of the State Government.

(viii) After consultation with the Reserve Bank and the Sponsor Bank, the Central Government may make rules for carrying out the provisions of the Regional Rural Banks.

(ix) After consultation with the Sponsor Bank and the Reserve Bank, the Board of Directors of the Regional Rural Bank may, with the previous sanction of the Central Government, make regulations for the purpose of giving effect to the provisions of the Act.

17 hrs.

The deposits of the Regional Rural Banks will be covered by the provisions of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961.

Consequential amendments to the Reserve Bank of India Act, 1934, the Banking Regulation Act, 1949, the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 and the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients'Accounts) Act, 1949 have been incorporated in the Bill

I would like to point out, before I conclude that it is necessary to enact a legislation for establishment of Regional Rural Banks so as to have an institution which would combine the advantages of the co-operatives and commercial banks to effectively serve the rural population especially small and marginal farmers, rural artisans and small entrepreneurs etc.

Sir with these words, I commend the Bill to the House

MR CHAIRMAN: Motion moved.

"That the Bill to provide for the incorporation, regulation and winding up of Regional Rural Banks with a view to developing the rural economy by providing, for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas, credit and other facilities, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs, and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Some of us have tabled some amendments. They should be treated as admitted, so that we may get a chance tomorrow to move those amendments.

MR. CHAIRMAN: There is a motion for reference to a Select Committee by Shri Erasmo De Sequeira. Mr. Sequeira is not here. So, it is not moved.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Those amendments should be treated as moved so that we may get a chance tomorrow to move those amendments.

MR. CHAIRMAN: The discussion will take place. You can send your name.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, so far as the rural banks are concerned, they will help the rural poor. But, so far as I know, the number of banks which are going to be started is very small according to the requirements of the rural people. If you want that they should really be helpful to the rural people, you must take into account the 70 per cent population of the rural people, who are almost poor peasants or agricultural labourers, who require help, who are compelled to go to the Mahajans for their existence in their difficult time for their needs. If the Government is really going to help them, then it requires finance. Those families, as a whole, in India, will number a minimum of 6-7 crores. If you are to help them by giving at least Rs. 100 or Rs. 200 as loan per year for productive purpose, it will come Rs. 600—1200 crores per year. Then, the purpose of the Government will be really helpful to the poor people.

The question is, if you want to give loans to these persons and want to free them from the clutches of the mahajans, the money-landers or the big traders, then you must create a condition so that these poor persons, maybe agricultural labourers, maybe poor peasants, will be able to utilise the money taken from the bank in a productive way have some surplus, help his family and give back the loan taken from the bank. In this way, the bank will be working properly, not getting liquidated. That condition must be created for the poor peasants and the agricultural labourers.

This requires that these poor peasants must have sufficient land, proper irrigation facilities, seeds and all that so that by utilising a small plot of land, he can produce sufficiently to maintain his family, to sell the surplus, make a profit and give back the loan taken from the bank. That condition must be created That is the basic thing we must think of. How are you going to do that? Without having that in our mind, our efforts will go in a blind way and will not help these poor people.

Next comes the agricultural labour. If you cannot give them land, may be Scheduled Caste or Scheduled Tribes or anybody you must guarantee the minimum wage to the agricultural labourer You must guarantee work to him throughout the year or at least you must develop rural industries so that they can get employment in the rural areas during off time when no harvesting or sowing is going on You must arrange the labour power to be utilised in developing irrigation and other things or some rural industries so that they can employ labour. Then only the agricultural labourer taking loan from the bank can help his family and the bank will be really helpful. Without this broad outlook in our country, the objective of rural Bank to help these poor people will not be fulfilled. I want that the Minister should have some such outlook so that it can really help the rural people.

For this, a radical land reform is required in the rural areas. The Agricultural tax Enquiry Committee Report or Ray Committee Report has already mentioned that 10 per cent of the families are controlling two-thirds of the rural produce. If that is the case, if you are going to help those 90 per cent rural families who are only getting only one-third of the rural produce, then that system must be changed and, for that, a radical reform is required.

You have better seeds and fertilisers and irrigation. Scientists are developing various methods of having sufficient produce from a limited area of land. There is the rotation of crops, etc. You can fully utilise the scientific achievements for the poor people to develop new village industries. And then, there are families who are holding and controlling vast amount of land without being able to utilise it, who become money-lenders at great profits. These must be removed from the village. Then only your rural banks will be helpful; otherwise these rural banks would be the dens of the money lenders. If you don't proceed in that way, it will work as a den for the money lenders: they will take money in the name of agricultural workers and poor peasants and utilise it themselves. I know that there are various parasites in West Bengal also where a land-owner having 30 or 20 acres of land for himself, is grabbing Government land in the name of a number of agricultural labourers. If a Government officer goes there, well, so many labourers are tilling the land, and they will make it appear before the Officer that the agricultural labourers are utilising it. But, really speaking, they are nominal.

The same thing happens in Cooperatives also. Co-operative loans are taken by 'Mahajans' and they utilise them in the villages in the name of the poor people. So, if you really want to help the poor and free them from the cultches of the 'Mahajans' you must have a radical change in the system of village economy and make the economy of the poor peasants and agricultural labourers really productive. This is the main thing I wanted to draw attention to. I would like to know what the Minister thinks about changes in the village life—about the families of agricultural labourers, poor peasants and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. How are you going to create a new life in the village?

Next thing is that you must have representation of the village people—people elected by them somehow or other by some organisation—so that they can really give some idea about the real needs of the people. Officers won't be able to go deep into the life of the people because it is not so easy to go into the life of the village people. It is not easy for an officer from Delhi to realise and understand and also to by-pass the various conspiracies which the big money lenders are habituated to. You cannot see through them without representation of the rural people, without their elected representatives being there.

Another thing is that there was a suggestion from the Minister that the rural bank employees will be paid less and will not be as richly paid as the city bank employees; there must be poorly paid workers serving in the banks. But if you want commerical development of the rural areas, if you want expert bank employees working in the rural areas and develop commercial transactions successfully, then the bank employees must be experts. They must go from the towns with all their knowledge and capacity, leave their families here and remain in the village for a long period and understand the realities of healthy functioning of the banks. Without such experts, your rural banks cannot function. If you do not pay them the minimum that is required and if you, from the beginning, think that you will pay them as little as possible,

[Shri S. P. Bhattacharyya]

then it will not be good; it will not stand the test of the situation, and it will not function well. Therefore, you should see that the employees that you are going to employ are experts and they must be paid at least the minimum that is required, so that they can go into the villages with confidence and security and really help in the development of the rural banks.

With these words, I support the purpose of the Bill, and I think, the Minister will explain the various things that I have raised.

श्री नाथू राम अहिरवार (टीकमगढ़) सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं। क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही है। सरकार ने तमाम देश के देहात में फैले हुए गरीब मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों और छोटे कारीगरों को उनके ऋणों से मुक्त कर दिया है, जो कि अभी तक पूंजीपतियों और पैसा उधार देने वाले साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए थे। अब साहूकारों ने उनको कर्ज देना बन्द कर दिया है, इसलिये अगर अब इन बैंकों की स्थापना नहीं होती है, तो उन लोगों की दशा बहुत शोचनीय हो जायेगी।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना से ही यह समस्या हल नहीं हो सकती है। यह क्षेत्रीय बैंक 2, 3 या 4 जिलों में या कमिश्नरी लैवल पर स्थापित किये जायेंगे। इस समय डिस्ट्रिक्टस में स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक या अन्य बैंकों की जो शाखाएं है, वे आज किसानों, मजदूरों और छोटे धन्धा करने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। आज भी उन लोगों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं ने यह नियम बनाया हुआ है कि वे 10 मील की सीमा के भीतर ही किसानों को ऋण देंगी और उससे बाहर रहने वालों को ऋण नहीं मिलेगा। मेरे क्षेत्र में 10,12 गांव ऐसे हैं जहां 80, 90 बिजली के पम्प लगने हैं। स्टेट बैंक की शाखा ने कहा है कि वह चार गांव के किसानों को ऋण देगी और बाकी के किसानों को बिजली का ऋण नहीं मिलेगा क्योंकि वे सीमा में नहीं आते हैं। इस स्थिति में वे किसान कहां जायें ?

मेरा सुझाव यह है कि क्षेत्रीय बैंक की स्थापना करने के साथ सरकार को हर गांव और ग्राम पंचायत लैवल पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गांव के मजदूर, खेतिहर मजदूर, छोटे कारीगर, छोटा उद्योग-धन्धा करने वाले और छोटे किसान को पोस्ट आफिस या को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाये, अन्यथा सरकार का यह मंशा पूरा नहीं हो सकेगा कि उन गरीबों को ऋण की सुविधा दी जाये। आज जिस मजदूर या खेतिहर मजदूर के पास केवल रहने के लिये एक मकान है, जब वह बैंक में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि उसका क्रेडिट क्या है, उसको सिक्योरिटी कौन देगा ? मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी दे क्योंकि आज कोई भी मकान या थोड़ी भी जमीन 500 रुपये से कम की नहीं होती है। इस बारे में सरकार को एक लिमिट मुकर्रर कर देनी चाहिये कि कितनी जमीन या मकान ऋण के लिये पर्याप्त समझे जाएंगे और इसके अनुसार हरेक मजदूर और किसान को एक पास बुक दे दी जाये जिससे यह पता लगे कि उसका क्रेडिट 500 रुपये का है।

जो छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और सीमांतक किसान है उनकी समस्यायें बहुत छोटी होती हैं, छः महीने के लिए वे ऋण लेते हैं साहूकार से और जब उनकी फसल आती है खरीफ की तो ऋण चुका देते हैं। इसी प्रकार से फिर ऋण लेते हैं और रबी

की फसल आने पर साहूकार का ऋण चुका देते हैं। फिर आगे का खाता चालू कर देते हैं। ऐसी स्थिति मे प्रत्येक व्यक्ति जो साहूकार के चुंगल से मुक्त हुआ है उसकी यदि आप सहायता नही करेगे तो उसके लिए कोई चारा नही है और वह बेचारा बेकार भटकता फिरेगा। इसलिए आप सहकारी समितियों और गाव के पोस्ट आफिसस के माध्यम से उनके लिए ऋणों की व्यवस्था कराए। हर एक आदमी के पास उसकी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिये। अगर उसकी जमीन है तो जमीन की, मकान है तो मकान की या और कोई सम्पत्ति है तो उसकी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिये। अगर नही है तो ग्राम पचायत के माध्यम से या सहकारी समिति के माध्यम से राज्य सरकार उसकी सिक्योरिटी हो। उसकी लिमिट अगर पाच सौ रुपये हो और वह साल मे सौ दो सौ रुपये लेना चाहता है तो वह ऋण उसको मिले पाच सौ से अधिक उसको न मिले लेकिन पाच सौ रुपये तक उसको ऋण मिलता रहे ताकि वह अपना ऋण लेता रहे और जमा करता रहे। अभी मैं गाव गया था जब हमारे यहा जमीन बट रही थी। तब गाव के लोगो ने कहा कि सरकार ने यह जो किया है कि हरिजन या आदिवासी या छोटे किसानो का ऋण माफ कर दिया जाए जो उन्होंने साहूकारो से लिया है उसका नतीजा यह हो गया है कि अब वे हम को ऋण नही देते हैं और सरकार से भी नही मिलता है। ऐसी स्थिति मे लोग भूखों मर रहे हैं क्योंकि जो कारीगरी का काम करते है या कोई छोटा धधा करते है अगर उनको पूजी न मिले तो वे अपना धधा कैसे करेगे। पहले साहूकार से लेकर धधा कर लेते थे और अपनी चीजे बेच कर ऋण चुका देते थे। ऐसी सूरत मे जब साहूकारों ने ऋण देना बन्द कर दिया और किसी भी गरीब आदमी को कर्जा देने के लिए कोई तैयार नही है और सरकार को इस बात के लिए राज्य सरकारो के साथ मिल कर पहल करनी चाहिये ताकि उनको ऋण मिल सके। राज्य सरकार उनकी सिक्योरिटी दे और ग्राम लेवेल पर जो सहकारी समितिया हैं या ग्राम सभा लेवेल पर जो आपके ब्रांच पोस्ट आफिसिस है उनके माध्यम से सरकार उन के लिए ऋण की व्यवस्था करे। नही तो लोगो की जो जो आशाए इस बीस सूत्री कार्यक्रम से बढी हैं कि हम को ऋण मिलेगा, हम अपनी खेती की उन्नति करेगे, अपने उद्योग धधे बढायेंगे, वे आशाए पूरी नही होगी और उनकी समस्या हल नही होगी। उनके सामने एक बहुत बडा सकट आज आ गया है।

आज आप देखे स्टेट बैंक क्या करते है। जो छोटे कारीगर हैं लुहारी या चर्मकारी का काम करने वाले या जो बुनकर लोग है वे बैंक मे कर्ज ले जाते हैं पैसा भी अदा कर देते है लेकिन बैंक मे बकायदा यह है कि एक दफा कर्ज पट जाने के चार महीने बाद लोन नही देगें। अब आप बताए कि चार महीने तक वह क्या खाएगा वह बेकार बैठा रहेगा क्योकि उसके पास पूजी नही है। इसलिये कई हथकरघे या बिजली के करघे जो लगाए गए थे उन को ऋण न मिलने की वजह से सब के सब बन्द पडे है और वह भूखो मर रहे हैं क्यो कि उन को लोन नही मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति मे मेरा निवेदन है कि जो गरीब लोग हैं, सीमान्तक किसान हैं या छोटे छोटे धधे करने वाले कारीगर लोग हैं जब बैंक उन के भले के लिए खोला जाता है तो वहा उन के सामने इस तरह की अडचन नही आनी चाहिए। जो बडे बडे किसान हैं वह बडे बडे बैंको से ऋण ले लेते हैं लेकिन छोटे छोटे किसानों को उस की सुविधा नही मिल पाती है।

मै एक सुझाव यह भी देना चाहता हू कि इन बैंको के जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स

[श्री नाथू राम अहिरवार]

हो उस में वही आदमी न हों जो साहूकारी करते हैं। गरीब लोगों का उस मे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो सही माने मे गरीबों का भला करे उन्ही लोगो को उस मे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इन्ही शब्दो के साथ मैं इस का समर्थन करता हू और आशा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए है सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी और जो आकाक्षाए आपने ग्रामीण लोगो की जगाई हैं उनकी पूर्ति के लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठायेंगे।

श्री रामसिंह भाई (इदौर) मै इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हू। जिस प्रकार हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम जनता के सामने आया, उसे सफल बनाने के उद्देश्य से ही शासन का यह एक बडा भारी कदम है। इस बिल मे जो कुछ बताया गया है और जो मत्री जी ने कहा उसको देखते हुए मैं यह मानता हू कि इस पर कोई टीका टिप्पणी करना एक प्रकार से बीस सूत्री कार्यक्रम का विरोध करने जैसा है। असली बात यह है कि जिस चीज की आवश्यकता है और वह देश में नही है उसकी शुरूआत की जा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिये न कि उसका विरोध करना चाहिये। ग्रामीण बैंकों के बारे मे यह भी कहा गया है कि इन में काम करने वाले कर्मचारी आदि शहरो से ही आने चाहियें। मेरा निवेदन है कि आप ट्रेनिंग क्लासिस ऐसी शुरू करे जो देहात के लोगो को ही ट्रेनिंग दे कर इस के लिए तैयार करे और वही बैंको को चलाए। यह पहली बात होनी चाहिये हमे शहरों की भीडभाड को रोकना है। देहात के लोगों को शहरो मे आने मे रोकना है और ग्रामीण लोगों को अपने पैर पर खडा करना है। जो उद्देश्य इस बिल मे बताए गए है उन मे यह स्पष्ट कहा गया है। जो सामने स्पष्ट और स्वच्छ दिखाई दे रहा है उस पर धुआं और धूल फेंक कर उसको धुधला करने की कोशिश क्यों की जा रही है।

इस बिल से पालिमेंट के मेम्बरों और विधायको को बहुत बडी जवाबदेही बढ जाती है। केवल कर्मचारियो और अधिकारियों को दोष देते रहने से कोई फायदा नही होगा। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो ऋण मुक्त हुए है जिन बधक श्रमिको को बधन से मुक्त किया जाएगा उन लोगो की सहायता के लिए आप क्यो नहीं पहुचते है। उनकी सहकारी समितिया बनाइये। उनकी मदद करने के लिये विधायक और ससद सदस्य पहुचें और उनको इन बैंकों का लाभ दिलाए। इसके बजाय आप पहले ही कहते है कि साहूकार ले जाएंगे, फला ले जाएगे, यह तो गर्भ मे आने के पहले ही आप नाम रखने लग गए। यह क्या काम आप कर रहे है कि बीज है नही और उसका आप नाम रख रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि आपने जो एक करोड रुपये की राशि रखी है यह बहुत कम है। इसका कारण यह है कि आप लेंडलैस श्रमिको को भूमि देने जा रहे हैं। जब उनके पास जमीन आएगी और साधन नही होगे तो उस भूमि का वे क्या करेगे। बैल की जोडी भी उनको चाहिये, खेती के साधन चाहिये, जरूरत हुई तो ट्यूबवेल भी लगाने पडेगे क्योंकि आप छोटे छोटे टुकडे देने जा रहे हैं, पचास या पच्चीस एकड तो किसी को वे नहीं रहे हैं। पाच सात एकड किसी को मिल गए तो उस में सिंचाई का साधन वह क्या लगाएगा। तो जो यह 1 करोड की राशि प्रत्येक बैंक के लिए आप ने रखी है यह मेरे ख्याल से बहुत कम है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आप के पास है, एक काम इन बैंकों के साथ साथ आप यह और

करिए कि आने वाले बजट में आइ टी आई के लिए ज्यादा अनुदान दीजिये और एक एक तहसील लेवेन पर आइ टी आइ क़ायम कर के ग्रामीण लोगों को तालीम देने की व्यवस्था कीजिए जिस में वे लोहारी का काम, सोनारी का काम, चर्मकारी वगैरह का काम सीख सके। यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य है बन्धक श्रमिकों को मुक्त कराना गरीब लोगों को ऋण से मुक्त कराना, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना और साथ साथ आप ने उस में यह भी रखा है कि हैंडलूम्स को प्रोत्साहन देना, यह पार्लियामेंट के मेम्बर्स और विधायकों का काम है कि उस काम में वे आगे आएं, जैसे जहा बुनकर लोग है उन्हें इकट्ठा कर के उन की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाए . . .

एक माननीय सदस्य : आप ने कितनी बनाई है ?

श्री राम सिंह भाई : मैं ने बनाई है । मेरे साथ आएंगे तो नाचेंगे आप । मेरे साथ आइए मेरा काम तो देखिए । आपने कुछ देखा नही है। मेरे साथ मदान में आइये । बैठे बैठें काम नही चलेगा । आप कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाये, उनके लिए सूत का इन्तजाम करे और उनके तैयार माल को बेचने का काम करे। खाली गाल बजाने से या जबान हिलाने से कोई काम नही होता है। विरोधी दलों की बात तो यह है कि जबान हाथ भर की चलती है लेकिन मगज हाथ नही चलता है। इसलिए जबान चालने से ही काम नही चलेगा, जब आप हाथ, पैर, मस्तिष्क से काम लेंगे तभी काम चलेगा ।

दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड बनने जा रहा है उसमें मंजे हुए कर्मठ लोग होने चाहिये । आपका जो उद्देश्य है वह बहुत पवित्र है और वह यह है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाया जाये । तो फिर यह आवश्यक है कि ऐसे लोग जो बीस सूत्री कार्यक्रम मे पूर्ण विश्वास रखते हो, जिनको गरीबो के प्रतिहमदर्दी हो उन्ही लोगो को इस बोर्ड में डायरेक्टर रखिये ।

मैं और अधिक कहना नही चाहता हूं क्योंकि इसमें नुक्ता चीनी करने की कोई गुंजायश ही नही है। एक पवित्र उद्देश्य के लिए पवित्र काम किया जा रहा है । इसके लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं और चाहता हूं उन बातो पर ज्यादा ध्यान दिया जाये जिनको मैं ने निवेदन किया है। आप अगले बजट में तहसील लेविल पर आई टी आई के लिये ज्यादा प्रावधान करे ताकि देहात के लोगो को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मिले, देहातों में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धों का विकास हो और लोग अपने पैरो पर खड़े हो सके । वह लोग भाग भाग कर शहरों की ओर न जाये जिससे कि शहरों की भीड़ भाड भी कम हो । मैं बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा है कि गांवों में कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए इस बिल की व्यवस्था की गई है और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बैंकों को खोलने की योजना बनाई गई है । अभी हमारे रामसिंह भाई बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम को माला जपने से काम नहीं हो जायेगा । हम सब इसको मानने वाले हैं, अकेले आप ही नही है। आप कोआपरेटिव सोसायटी की बात कर रहे है, मैं समझता हू इसमे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी और विभाग मे नही है। मै अपने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दावे के साथ कह सकता हू कि वहां पर कोआपरेटिव्ज मे करोड़ों रुपये का गबन है । भाइयों ने जाली सोसायटिया बना कर कर्जे ले लिए जिनसे गरीबों को कोई लाभ नही मिला । इन्ही की तरह नेता लोग उसमें हैं जिनकी मदद के लिए पूरी सरकार

[श्री सरजू पांडे]

खड़ी हो जाती है । तो इस तरह का भ्रष्टाचार कोआपरेटिव्ज में फैला हुआ है । कोआपरेटिव को रजिस्टर कराना भी एक बड़ा भारी काम है । अगर आप चाहें कि किसी कोआपरेटिव को रजिस्टर करवा लें तो बड़ा मुश्किल काम होता है । मुझे मालूम है । मैने एक सोसायटी, को रजिस्टर कराने की कोशिश की तो उसमें पूरा एक साल लग गया और बगैर मेरी जानकारी के कोआपरेटिव विभाग से लोगों ने घूस भी ले लिए । ऐसी हालत मे यह कहना कि सिर्फ विधायक या एम०पी० इस काम को कर लेंगे, यह मुमकिन नही है ।

सभापति जी, भारी सख्या मे गावों के लोग कर्जा लेते हैं । गावों की बड़ा भारी आबादी कृषि पर निर्भर रहती है जिनमे खेतिहर मजदूर, छोटे किसान और बुनकर लोग होते है । महाजनों ने वहा बड़ी लूट मचा रखी है । एक रुपए पर सवा रुपया सूद लेते हैं । उनकी पूरी जायदाद और घर नीलाम करवा लेते है । उन्ही लोगों की सुरक्षा के लिए यह बिल आया है—यह मंत्री जी ने कहा है लेकिन केवल 8 बैंकों की व्यवस्था पूरे देश मे हुई है । हमारे उत्तर प्रदेश मे 33 जिले पिछड़े हुए है जहां लोग भूख मरते हैं । उनको खाने के लिए महुआ भी नही मिलता है । उनको कर्जा मिलता नहीं है । अगर इसी हिसाब मे बैंक खोले गए तो मैं समझता हू यह काम चालीस सूत्री कार्यक्रम मे भी पूरा होने वाला नही है बीस सूत्री कार्यक्रम की बात ही छोड दीजिए । अगर इस योजना को सफल बनाना है तो आप बड़े पैमाने पर इन बैंकों की स्थापना कीजिए । अभी जो बैंक खुले है—जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे—उनकी कर्जा देने की लिमिट है और वह जायदाद की रजिस्ट्री कराते हैं । सरकारी आदेश यह है कि बैंक खुद ही उनकी जायदाद की रजिस्ट्री करले लेकिन कोई बैंक रजिस्ट्री नहीं कराता है । अगर ट्रैक्टर या पम्पिग सेट के लिए कोई कर्जा लेता है तो रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के यहां करानी पड़ती है । अगर मैं चालीस हजार या बीस हजार कर्जा लेना चाहता हू तो तीन चार हजार जायदाद की रजिस्ट्री और घूस मे देने पड़ते हैं । इसके लिए इसमे कोई प्रोसीजर ले डाउन नही है । किस तरह से कर्जा दिया जायेगा वह बैंकों पर छोड दिया गया है । बैंक अपने 2 अलग प्रोसीजर बनाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं । मैंने जौनपुर मे देखा एक गाव मे कर्जा दिया जा रहा था । वह कह रहे थे कि मैं आन दि स्पाट कर्जा दिलवा रहा हू और रजिस्ट्री करवा रहा हूं लेकिन कही और जगह यह देखने को नहीं मिलता है । कर्जे के लिए गारन्टी देना और जमानतदार लाना बड़ा मुश्किल होता है । इसलिए इस ऐक्ट मे यह प्रासीजर देना चाहिए कि कैसे कर्जा दिया जायेगा लेकिन उस बात को बैंकों पर छोड दिया गया है ।

इसमे जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स है उसमे दो केन्द्रीय सरकार के नामिनेटेड है, दो तीन राज्य सरकारों के नामिनेटेड होंगे और 15 मेम्बरों तक और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट नामिनेट करेगी लेकिन किस प्रकार के लोग लिये जायगे इसकी कोई व्यवस्था नही है । इस प्रकार तमाम सूदखोर और बदमाश लोग इन बैंको मे आ जायेंगे और जिस तरह से कोआपरेटिव बैंक मे बड़े बड़े लोग कर्जा लेते है वही बात यहा पर भी हो जायेगी । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मे गरीबों को रखा जाये और उनके चुनाव की व्यवस्था की जाये । कम से कम आप यह नियम बनाये कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मे कितने लोग एग्रीकल्चर के होंगे, कितने किसान होंगे, केवल ब्यूरोक्रैसी के हाथ में ही सब कुछ न दे दीजिए जोकि शोषण करने वाले हैं । लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था नही की गई है ।

सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इन बैंकों में जो कर्मचारी काम करेंगे उनकी जो सुविधायें होंगी वह स्टेट गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों की तरह से होंगी । माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि कितने कर्मचारी गांवों में जाने के लिए तैयार होंगे ? इसका मतलब यह होगा कि वही लोग जायेंगे जो बैंकों का काम नहीं जानते, नौकरी के लालच में वहां जायेंगे और वहां जाकर भ्रष्टाचार करेंगे, बैंकों को लूटेंगे । मेरा सुझाव है कि आप अपने कर्मचारियों और इन बैंकों के कर्मचारियों की सुविधाओं में कोई फर्क न करें बल्कि इनको ज्यादा दें क्योंकि यह सोचना कि गांवों में रहने पर खर्चा कम होता है और शहरों में खर्चा ज्यादा होता है यह विचार गलत है । गावों में रहने वाले लोगों को अपने बच्चों की तालीम की व्यवस्था, दवा दारू की व्यवस्था करना बडा मुश्किल होता है । इसलिए गांवों में रहने के लिए जो कर्मचारी तैयार होंगे उनको अगर आप ठीक पैसा नहीं देंगे तो कोई वहां जाने को क्यों तैयार होंगे ? और जो जाएंगे वह गरीबों को लूटेंगे । वह अपनी फेमिली शहर में रखेंगे और खुद गाव में रहेंगे तो रोज भाग भाग कर शहर में आएंगे । नाजायज तरीके से पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे । इसलिए आप इस क्लाज में अमेंडमेंट कीजिए और अपनी व्यवस्था को बदलिए ।

तीसरी बात यह है कि बैंकों का जो कर्ज देने की व्यवस्था है उस में सोसाइटी भी शामिल है, इंडिविडुअल्स की है, छोटे काश्तकार, किसान मजदूर सभा के लिए व्यवस्था की गई है उस में ऐसा होता है कि सोसाइटियां गलत तरीके से बना कर लोग रुपया ले लेते है, इंडिविडुअल्स को भी कर्जा देते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग है जो व्यक्तिगत लोगों को समझाबुझा कर उन से पैसा ले लेंगे और खा जाएंगे, फिर मुसीबत में डालेंगे । इसलिए इस हालत को बदलना पड़ेगा ।

जहां तक जमीनों के बंटवारे की बात है मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं कि टोटल झूठ कागज पर लिख दिया गया है । एक भी आदमी को जमीन नहीं मिल रही है । सारे कागजात में दिखा दिया कि जमीन बांट दी गई । लेकिन वह बिलकुल झूठ है । एक भी आदमी को मौके पर कब्जा नहीं मिला है । आज भी बड़े बड़े लोग उन जमीनों पर काबिज हैं । कोआपरेटिव्ज की भी वही हालत है । रूरल बैंक्स में भी अगर इसी तरह लूज होल छोड़ देंगे तो वहां भी वही होगा जैसे कि आज बैंक वाले कर्जा देने मे परेशान करते है । बड़े बड़े लोगों को कर्जा दिया जाता है । कितना भी चाहे बैंकों से वह रुपया ले सकते है । लेकिन छोटे आदमी को कर्जा लेने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । उस को तरह तरह से परेशान करते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस में दो तीन बातें है जिन को दूर किया जाय । एक तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में किसानों, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के लिए व्यवस्था की जाय और बिल को इस तरह से अमेंड किया जाय कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में वह पहुंच सकें बैंक कर्मचारियों की तनख्वाहों में कोई फर्क न कीजिये । तीसरी बात—इस बैंक को ज्यादा से ज्यादा गांवों में खोलने की कोशिश कीजिये और जल्दी से जल्दी खोलिये । यहां कई भाइयों ने सुझाव दिया है कि आज गांवों के अन्दर किसान को कर्जा नहीं मिल रहा है, छोटे-छोटे रोजगार बन्द है । हमारे पूरब में तो ऐसी मुसीबत है कि बेचारा गरीब आदमी कर्ज पर निर्भर करता है, साहूकार ने कर्जा देना बन्द कर दिया है, उन की जान मुसीबत में पड़ी हुई है, बैंक से कर्जा मिलता नहीं है । इसलिये कम से कम उन हिस्सों में जो देश के पिछड़े हुए हिस्से हैं क्योंकि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था का यह दोष है कि अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता है, जो इलाके आगे बढ़े हुए हैं, वहीं पर सारे काम होते हैं—इसलिए पिछड़े

[श्री सरजू पांडे]

इलाकों में, जिन के आंकड़े आप के पास मौजूद हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े इलाके हैं, जहां ज्यादा गरीबी है, जहां खेत मजदूरों पर आर्थिक भार ज्यादा है, उन इलाकों में बैंक खोलने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बिल को इस तरह से बनाया जायगा ताकि आम तौर से गरीब लोग इस से फायदा उठा सकेंगे।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur) Sir, I welcome this Bill which has been brought forward for developing the rural economy and to help small and marginal farmers, agricultural labourers and artisans Since this is a bill for the Regional Rural Banks, I would like to know what will be the area covered by this region and whether the region would consist of one district of five or ten districts It has not been clarified in this Bill So, my suggestion would be that each region should have one district and not like Regional Commissioners having five or six districts under them

Sir, this Bill will certainly help the poor farmers whose lands were grabbed by the moneylenders who used to charge a very high interest from them Once a loan is taken by the poor farmer, he is unable to pay the loan to the moneylenders So I would suggest that no corruption should be there in the banks because if a farger goes to the bank for the loan or even if a labourer or small entrepreneur goes to the bank for the loan, he does not get the loan unless a bribe is given to the employees In many cases, the bank staff takes 25 per cent or 50 per cent of the loan that has been sanctioned to them Besides the rate of interest charged on the loan should be very nominal. Nothing is mentioned about the rate of interest here. I say that it should be very nominal and not at the bank rate as the interest charged by the banks in some places is very very high

Coming to the board of directors, I would suggest that of the three directors nominated by the State, two should be lady directors Another thing is this The staff of the regional rural banks should be employees from the same region Only when suitable persons are not available, people from outside the region should be brought in.

Another thing that I would like to suggest is this Fifty per cent of the staff in these banks should be women and there should be equal remuneration offered to women for equal work. This should also be implemented Sir, the loans granted to artisans, farmers and agricultural labour should be granted very liberally but it should be seen that these loans are not used for some other purposes because if they spend this amount on marriages then they will not be able to return the loan

Further, Sir, in case any property of a poor farmer is sold through litigation it should be first offered to the local people and not to the outsiders.

With these words I support this Bill

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज): मोहतरिम चेयरमैन साहब, यह बिल रूरल बैंकों की बाबत हमारे मोहतरिम दोस्त ने पेश किया है, मैं इस को पुरजोर ताईद करता हूं। इसकी हिमायत में मैं चन्द अलफाज कहना चाहता हूं—पहली बात तो यह है कि जब मैंने इस के एम्स एण्ड आब्जेक्टस

को पढ़ा तो वाकई मुझे इतमिनान हुआ कि जो हम इतने दिनों मे नही कर पाये थे, अब हम इस डायनमिक लीडरशिप की बुनियाद पर कुछ करने के रास्ते पर चल रहे हैं ।

जनाब चेअरमैन साहब, बैको की बाबत जो यह बिल लाया गया है—सही मायनो में यह गाव के लोगो को खिदमत के लिये लाया गया है। इस के स्टेटमेन्ट आफ आब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज से यह बात साफ तौर से बतला दी गई है कि यह बिल मदद करेगा

particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs and for matters connected therewith and incidental thereto

लेकिन जब मैंने इस को गौर से देखा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इस मे कुछ कमी है, इसलिये मैं कुछ सुझाव अपने लायक दोस्त को देना चाहता हू और अगर वे मेरे सुझावो को मान लेंगे तो मुझे इतमिनान होगा कि अब गाव के लोगो की सही खिदमत हो सकती है, जो इस बिल की मन्शा भी है ।

पहली बात तो यह है कि क्लाज 3 सब-क्लाज 3 मे रेक्रूटमेन्ट एण्ड ट्रेनिग की बाबत कहा गया है । मेरी गुजारिश यह है कि इस मे एग्रीकल्चरल ग्रेजुएटस का कही भी इन्वाल्वमेन्ट नही है, उन का इस के साथ इन्वाल्वमेन्ट होना बहुत जरूरी है । यह मामला गाव से ताल्लुक रखता है, इसलिये आप चाहे जिस फाम मे रखें, जो अमेण्डमेन्ट करना चाहे कर, लेकिन उन का इन्वाल्वमेन्ट इस मे जरूर होना चाहिये ।

दूसरी बात—आप इस बैंक को गाव के लोगों के फायदे के लिये खोल रहे है, लेकिन गाव के लोगों के इन्वाल्वमेन्ट का इस मे कही भी तजकिरा नहीं है । इसलिये मेरी गुजारिश है कि गाव के लोगो को इस लाइन पर ट्रेनिग दें, सिखायें, ताकि वे लोगो के दिल की बात आप के बैंक डायरेक्टर्स के आगे रख सकें और इस से जनता को फायदा हो सके । इस लिये मैं अर्ज कर रहा था कि इन के एप्वाइन्टमेंट और रक्रूटमेन्ट, ट्रेनिग आफ पर्सोनल के सिलसिले मे इस बात पर खास तौर से ध्यान दे । चूकि आप ने इस मे टाइम फैक्टर रखा है—5 साल का, इस लिए मेरी गुजारिश है कि इस पर जरूर गौर करे ।

हमारे यहा बैको का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उस से तो मुझे बडी नाउम्मीदी हुई है । जिस मकसद के लिये राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह बिलकुल बेसिकली फौत कर गया है, उस पर ठीक तौर से काम नही हो पाया हैं । मिसाल के तौर पर मेरी अपनी कान्स्टीचुएन्सी मे कुछ अनएम्पलाएड ग्रेजुएटस को सरकार की तरफ से मीडियम क्लाथ की दुकान का लाइसेंस देकर दुकान कराने की जो बात कही गई थी, उस मे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि 8 किलोमीटर से बाहर के लोगों को लोन नही देगे । मैं जानना चाहता हू कि क्या कोई ऐसा गाव है जो शहर के नजदीक है ? अगर है भी तो वह तो शहर का ही एक हिस्सा माना जायगा । इसलिये इस 8 किलोमीटर की कैद को हटाइये क्योकि इस से लोगो मे नाउम्मिदी फैल गई है, और रूल्स में रिलेक्सेशन कीजिये । जिस बात को हम करना चाहते हैं वह रूल्स को बन्धन की वजह से नही कर पा रहे हैं । इसलिये उस बन्धन को आप हटाइये जिस से लोगो को फायदा हो ।

जहा तक नौकरी मिलने का सवाल है आप नेशनलाइज्ड बैंक्स की ऐम्प्लायमेंट लिस्ट को देख लीजिये कि उस मे कितने हरिजन, आदिवासी और माइनारिटीज के लोग हैं । एक परसेंट भी नही मिलेंगे । और

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

कितने लोग गांवों के हैं ? इसलिये मेरी गुजारिश है कि जिस मकसद के लिये आप यह बिल लाये हैं उस को पूरा करें और जहा आप यह बैंक खोलना चाहते हैं वहां के लोगो को ही आप ट्रेनिंग दे, एमप्लायमेंट दे, उन को बतायें कि सामाजिक जिन्दगी कैसे बेहतर बनायी जा सकती है, बैंक से कैसे पैसा ले कर समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं ।

अब क्लाज (9) देखिये फरमार है चेयरमन, डायरेक्टर वगैरह की ।

Clause 9 . " not more than two directors, to be nominated by the concerned State Government, and (c) not more than three directors to be nominated by the Sponsor Bank."

लेकिन जिनके लिये आप ने मेमोरेन्डम मे कहा है, एम्स और ओबजेक्टस में कहा है, उन के एक भी रिप्रजेन्टेटिव का हवाला नही हैं । मेरी राय है कि मार्जिनल फार्मर्स का, स्माल फार्मर्स का, ऐग्रीकल्चर लैंडलैस लेबरर का, आर्टिजन का, स्माल एंटरप्रेन्योर का एक एक रिप्रेजेन्टेटिव लीजिये । और जो जिला परिषद बन रही है, या जहा बन चुकी है, उस के चेयरमन को भी इसमे लीजिये क्योंकि वह गाव की ज्यादा जानकारी रखता है ।

जहां तक औरतों की बात है उन को क्लरिकल जाब्स मे रखना चाहिये । जिस से गांव की औरत और बढ़ चढ़ कर समाज का काम करेंगी ।

इसी तरह से क्लाज (11) में आपने कहा है:

"Clause 11—The Central Government shall appoint an individual to be the Chairman of a Regional Rural Bank and specify the period, not exceeding five years ...."

I suggest that it should be not more than three years, because in the preceding section you say this.

आप ने कहा है कि मेम्बर्स की लाइफ दो साल रहेगी । और अगर आप ऐक्सटेंशन देना चाहते हैं तो दो साल के लिये दे सकते हैं । लेकिन दो साल देने के बाद उन को नेक्स्ट टर्म नही देना चाहिये ।

इसी तरह से क्लाज (12) के अन्दर आप ने कहा है ।

"Clause 12· A person shall be disqualified for being appointed or, as the case may be, nominated as, and for being director, if he, (a) (b) . (c) ... if charged with corruption. यह जोड दीजिए। क्योंकि मारल टर्पीटयूड एक जनरल चीज है । अगर कोई डायरेक्टर या मेम्बर जिस के ऊपर करप्शन का चार्ज है तो he will be disqualified to be nominated as a Member or Chairman of the Board.

क्लाज 17 में रीजनल रूरल बैंक्स के स्टाफ की बाबत कहा गया है, ठीक है जिस ढंग से अच्छा चले उस में मुझे कोई एतराज नही है । लेकिन मेरी गुजारिश है कि लोकल लोगों को नही भूलना चाहिये और उन को भी एम्पलायमेंट देना चाहिये जिस से बैंक अच्छी तरह से चल सके ।

जैसा कि माननीय सदस्य सोखी जी ने कहा है कि रीजनल रूरल बैंक की जो डेफीनीशन होनी चाहिये थी वह नही हो पायी है । मेरी राय में आप ब्लाक को एक एक रीजन मानिये, हर ब्लाक की करीब लाख, सवा लाख की पौपुलेशन है, इसलिए दो तीन ब्लाक्स को शामिल कर के बनाइये, और जो बैकवर्ड एरियाज हैं जैसे नौर्थ बिहार में पूर्णिया, मधुबनी और पुरनिया में किशनगंज सब-डिवीजन मे जरूर एक बैंक खोलिये ।

जहां तक लोन का सवाल है, लोन देने का जो मकसद है उस को पूरा करने के लोन के रूल्स को आप रिलक्स करें और कम से कम बन्धन लगाये जिस से आप का मकसद पूरा हो सके । यहा माननीय सदस्यों ने कहा है कि लेंडलैस लेबरर्स को जमीन बांटी गई है । तो बैंक को वहा फौरन पहुंचना चाहिये ताकि उन को जल्दी पैसा मिल सके । नही तो जो भी जमीन आप ने दी है उस का मकसद हीं पूरा नहीं होगा । इसलिए मेरी गुजारिश है कि बैंक को उन भूमिहीन लोगों की मदद करनी चाहिये जिस से वह लोग मिली हुई जमीन से कुछ पैदा कर सकें । उन को कर्जा मुहैया कराने में आप के रूल्स और रेगूलेशन्स के बंधन में कमी आनी चाहिये, मतलब यह कि उन मे रिलेक्सेशन किया जाना चाहिये ।

बैंक ऐम्प्लाईज की पे के बारे मे आप ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर दी जायगी । यह बिल्कुल ठीक है । लेकिन आप ने मार्केटिंग सर्विसेज के बारे मे कुछ नही कहा है । मार्जिनल्स या लैंडलेस लेबरर्स वगैरह जिन को आप लोन प्रोवाइड करते है उस का जो आउट-पुट होगा उस की मार्केटिंग का भी आप बन्दोबस्त करे । इस से दो फ़ायदे होगे । एक तो लोन की सेक्योरिटी हो जायगी और दूसरे प्राइस लाइन मेनटेन रहेगी । इसलिये जो मकसद रूरल बैंक्स खोलने का है वह पूरा होगा ।

इस बिल के आने से मनीलैंडर्स को बड़ा धक्का लगा है क्यों कि उन का कारोबार प्रैक्टीकली बन्द हो गया है । मनीलैंडर्स का रेट आफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था । लेकिन इधर भी कुछ कम नही है—18 परसेंट तक है । अगर आप गाव के लोगो को वाकई कर्ज दिलाना चाहते है तो इंटरेस्ट की दर मे भी कमी करनी होगी ।

इन अल्फ़ाज के साथ मैं इस बिल की तहेदिल से पुरजोर ताईद करता हूं । यह तवारीख का एक सुनहरा चैपटर है जो हमारी लीडरशिप ने देश को दिया, इस से पहले कभी किसी ने ऐसा सौशलिस्टिक बिल लाने की नही सोची । यह बिल अगर किसी ने लायी है तो हमारी सरकार ने लायी है ।

[شری محمد جمیل الرحمان (کشن گنج) : محترم چیرمین صاحب، یہ بل رورل بینکوں کی بابت ہمارے محترم دوست نے پیش کیا ہے - میں اسکی پرزور تائید کرتا ہوں - اسکی حمایت میں میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں - پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے اسکے ایمز اینڈ آبجیکٹس کو پڑھا تو واقعی مجھے اطمینان ہوا کہ جو ہم اتنے دنوں سے نہیں کر پائے تھے اب ہم اس ڈائنمک لیڈرشپ کی بنیاد پر کچھ کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں -

جناب چیرمین صاحب، بینکوں کی بابت جو یہ بل لایا گیا ہے

[شری محمد جمیل الرحمان]

صحیح معنوں میں یہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کے لئے لایا گیا ہے - اس کے سٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز میں یہ بات صاف طور سے بتلا دی گئی ہے کہ یہ بل مدد کریگا -

Particularly to help the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs and for matters connected therewith and incidental thereto.

لیکن جب میں نے اِسکو غور سے دیکھا تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اِس میں کچھ کمی ہے ، اس لئے میں کچھ سجھاؤ اپنے لائق دوست کو دینا چاھتا ھوں اور وہ میرے سجھاؤں کو مان لیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ اب گاؤں کے لوگوں کی صحیح خدمت ھو سکتی ھے جو اِس بل کی منشا بھی ھے -

پہلی بات تو یہ ھے کہ کلاز 3 سب-کلاز (3) میں ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ کی بابت کہا گیا ھے- میری گذارش یہ ھ کہ اس میں ایگریکلچرل گریجوایٹس کا کہیں بھی انوالمنٹ نہیں ھے - اُنکا اِسکے ساتھ انوالمنٹ ھونا بہت ضروری ھے - یہ معاملہ گاؤں سے تعلق رکھتا ھے اس لئے آپ چاھے جس فارم میں رکھیں ، جو اسیسمنٹ چاھیں کریں ، لیکن اُنکا انوالمنٹ اس میں ضرور ھونا چاھیئے

دوسری بات ، آپ اِس بینک کو گاؤں کے لوگوں کے فائدے کے لئے کھول رہے ھیں، لیکن گاؤں کے لوگوں کے انوالمینٹ کا اس میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ھے-اِس لئے میری گذارش ھے کہ گاؤں کے لوگوں کو اس لائن پر ٹریننگ دیں ، سکھائیں، تاکہ وہ لوگوں کے دل کی بات آپ کے بینک ڈائریکٹرز کے آگے رکھ سکیں اور اس جنتا کو فائدہ ھو سکے - اس لئے میں عرض کر رھا تھا کہ ان کے تقرر اور ریکروٹمینٹ ، ٹریننگ آف پرسونل کے سلسلے میں اس بات پر خاص طور سے دھیان دیں - چونکہ آپ نے اس میں ٹائم فیکٹر رکھا ھے پانچ سال کا، اس لئے میری گذارش ھے کہ اس پر ضرور غور کریں -

ھمارے یہاں بینکوں کا جو راشٹریہ کرن ھوا اس سے تو مجھے بڑی نا امیدی ھوئی ھے - جس مقصد کے لئے راشٹریہ کرن کیا گیا تھا وہ بالکل بنیادی طور پر فوت کر گیا ھے اس پر ٹھیک طور سے کام نہیں ھو پایا ھے - مثال کے طور پر میری اپنی کانسٹی ٹیوینسی میں کچھ ان ایمپلائیڈ گریجوایٹس کا سرکار کی طرف سے سیمنٹ کلاتھ کی دوکان کا لائسنس دے کر دوکان کرانے کی جو بات کہی گئی تھی اس میں ریسٹرکشن لگا دی گئی

ہے کہ آٹھ کلو میٹر سے باہر کے لوگوں کو قرضہ نہیں دیں گے - میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا گاؤں ہے جو شہر کے نزدیک ہے ؟ اگر ہے بھی تو وہ تو شہر کا ہی ایک حصہ مانا جائیگا - اس لئے اس آٹھ کلومیٹر کی قید کو ہٹائیے کیونکہ اس سے لوگوں میں نا امیدی پھیل گئی ہے - اور رولس میں فلیکسیبلٹی کی جائے - جس بات کو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ رولس نے بندھن کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں - اس لئے اس بندھن کو آپ ہٹائیے ، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو -

جہانتک نوکری ملنے کا سوال ہے آپ نیشنلائزڈ بنکس کی ایمپلائمینٹ لسٹ کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنے ہریجن، آدی واسی اور مائینوریٹیز کے لوگ ہیں - ایک پرسینٹ بھی نہیں ملیں گے - اور کتنے لوگ گاؤں کے ہیں ؟ اس لئے میری گزارش ہے کہ جس مقصد کے لئے آپ یہ بل لئے ہیں اسکو پورا کریں - اور جہاں آپ یہ بنک کھولنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ہی آپ ٹریننگ دیں، ایمپلائمینٹ دیں، ان کو بتائیں کہ سماجک زندگی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے - بنک سے کیسے پیسہ لے کر سماج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں -

اب کلاز (۹) دیکھئے بھرمار ہے چیئرمین، ڈائریکٹر وغیرہ کی -

Clause 9 . "not more than two directors, to be nominated by the concerned State Government and (c) not more than three directors to be nominated by the sponser Bank."

لیکن جن کے لئے آپ نے میمورنڈم میں کہا ہے ، ایمز اور آبجیکٹس میں کہا ہے ، ان کے ایک بھی ریپریزنٹیٹو کا حوالہ نہیں ہے - میری رائے ہے کہ مارجنل فارمرز کا ، سمال فارمرز کا ، ایگریکلچرل لینڈلیس لیبررز کا ، آرٹیزنز کا ، سمال اینٹرپرینیور کا ایک ایک نمائندہ لیجئے - اور جو ضلع پریشد بن رہی ہے یا جہاں بن چکی ہے [illegible] چیئرمین کو بھی اس میں لیجئے کیونکہ وہ گاؤں کی زیادہ جانکاری رکھتا ہے -

جہانتک عورتوں کی بات ہے ان کو کلیریکل جابس میں رکھنا چاہئے - جس سے گاؤں کی عورتیں بڑھ چڑھ کر سماج کا کام کرینگی -

اسی طرح سے کلاز (۱۱) میں آپ نے کہا ہے :

"Clause 11—The Central Government shall appoint an individual to be the Chairman of a Regional Rural Bank and specify the period, not exceeding five years ....."

I suggest that it should be not more than three years, because in the preceding section you say this.

[شری محمد جمیل الرحمان]

آپ نے کہا ہے کہ ممبرز کی لائف دو سال رہے گی - اور اگر آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو دو سال کے لئے دے سکتے ہیں - لیکن دو سال دینے کے بعد اُن کو نیکسٹ ٹرم نہیں دینا چاہئے -

اسی طرح سے کلاز (12) کے اندر آپ نے کہا ہے :

"Clause 12.—A person shall be disqualified for being appointed or, as the case may be, nominated as, and for being director, if he, (a).... (b) .... (c)......if charged with corruption."

یہ چیز دیکھئے - کیونکہ ماورل ٹرپیچیوڈ ایک جنرل چیز ہے - اگر کوئی ڈائریکٹر یا ممبر جس کے اوپر کرپشن کا چارج ہے تو he will be disqualified to be nominated as a member or Chairman of the Board.

کلاز 17 میں ریجنل رورل بینکس کے سٹاف کی بابت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس ڈھنگ سے اچھا چل سکے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے - لیکن میری گزارش ہے کہ لوکل لوگوں کو نہیں بھولنا چاہئے اور ان کو بھی ایمپلائمنٹ دینا چاہئے جس سے بینک اچھی طرح سے چل سکے -

جیسا کہ مانیہ سدسیہ سوکھی جی نے کہا ہے کہ ریجنل رورل بینک کی جو لوکیشن ہونی چاہئے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے - میری رائے میں آپ بلاک کو ایک یونٹ مانیئے، ہر بلاک کی قریب لاکھ سوا لاکھ کی آبادی ہے، اسلئے دو تین بلاکس کو شامل کر کے بنائیے، اور جو بیک ورڈ ایریاز ہیں جیسے ضلع بہار میں پورنیہ، مدھوبنی اور پورنیہ میں کشن گنج سب ڈویژن میں ضرور ایک بینک کھولئے -

جہانتک قرضے کا سوال ہے، قرضہ دینے کا جو مقصد ہے اُسکو پورا کرنے میں قرضے کے رولز کو آپ ریلیکس کریں اور کم سے کم بندھن لگائیں جس سے آپ کا مقصد پورا ہو سکے - یہاں مانیہ سدسیوں نے کہا ہے کہ لینڈ لیس لیبررز کو زمین بانٹی گئی ہے - تو بینک کو وہاں فوراً پہنچنا چاہئیے تاکہ اُنکو جلدی پیسہ مل سکے - نہیں تو جو بھی زمین آپ نے دی ہے اُسکا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا - اسلئے میری گزارش ہے کہ بینک کو اُن بھومی ہین لوگوں کی مدد کرنی چاہئیے جس سے وہ لوگ ملی ہوئی زمین سے کچھ پیدا کر سکیں - اُن کو قرضہ مہیا کرانے میں آپکے رولز اور ریگولیشنز کے بندھن میں کمی آنی چاہئیے - مطلب یہ کہ اُن میں ریلیکسیشن کیا جانا چاہئیے -

بینک ایمپلائز کی تنخواہ کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ

سے بوجھ کم ہو جائیگی - یہ بالکل ٹھیک ہے - لیکن آپ نے مارکیٹنگ سروسز کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے - آرٹی زن یا لینڈلیس لیبررز وغیرہ جنکو آپ قرضہ پرووائڈ کرتے ہیں اُس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا اُسکی مارکیٹنگ کا بھی آپ بندوبست کریں - اِس سے دو فائدے ہونگے - ایک تو قرضے کی سیکیورٹی ہو جائیگی اور دوسرے پرائس لائن مینٹین رہے گی - اِسلئے جو مقصد رورل بینکس کھولنے کا ہے وہ پورا ہوگا -

اِس بل کے آنے سے ملی لینڈرز کو بڑا دھکا لگا ہے کیونکہ اُن کا کاروبار پریکٹیکلی بند ہو گیا ہے - ملی لینڈرز کا ریٹ آف انٹریسٹ بھی بہت زیادہ تھا - لیکن اِدھر بھی کچھ کم نہیں ہے 18 پرسینٹ تک ہے - اگر آپ گاؤں کے لوگوں کو واقعی قرض دلانا چاہتے ہیں تو انٹریسٹ کی در میں کمی کرنی ہوگی -

ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کا تہہ دل سے پر زور تائید کرتا ہوں - یہ تواریخ کا ایک سنہرا چیپٹر ہے - جو ہماری لیڈرشپ نے دیش کو دیا - اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا سوشلسٹک بل لانے کی نہیں سوچی - یہ بل اگر کسی نے لائی ہے تو ہماری سرکار نے لائی ہے -]

MR CHAIRMAN Now the House stands adjourned to meet at 11 O'clock tomorrow

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, January 21, 1976 Magha 1, 1897 (Saka)

GMGIPND—PMR2110 LS—17-2-76—978